जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितपोष आयोग,लखीमपुर–खीरीं

परिवाद संख्या:245/2008

परिवाद के योजन का दिनॉक:–15.10.2008

परिवाद के निर्णय का दिनॉक:–04.8.2023

उपस्थिति:– 1. शिव मणि शुक्ल,अध्यक्ष

2. डॉ.आलोक कुमार शर्मा,सामान्य सदस्य

3 जूही कुददूसी,महिला सदस्य

रानी गुप्ता पत्नी कृष्ण कुमार गुप्ता,निवासी–अस्पताल रोड़,लखीमपुर–खीरी।

–परिवादी

बनाम

1. डॉ0 सीमा गुप्ता,असिस्टेन्ट प्रोफेसर रेडियो किमोथेर्पी विभाग,किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी,लखनऊ
2. किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ जरिये उपकुलपति।
3. डॉ0 चारू डाइग्नोस्टिक सेन्टर,डाॅ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास,विभूति खण्ड–गोमती नगर,लखनऊ।
4. आयुष नर्सिगं होम ,निकट गॉधी विद्यालय चौराहा,लखीमपुर–खीरी।

5.डॉ0 आनन्द मिश्रा वर्तमान पता– सी–719,अरावली मार्ग,इन्दिरा नगर,लखनऊ –– विपक्षीगण

निर्णय

1– परिवादिनी द्वारा यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्व उपभोक्ता होने के आधार पर क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– परिवादिनी का कथन है कि विपक्षी संख्या.05 (डॉ0 आनन्द मिश्रा) लखीमपुर में आयुष नर्सिगं होम में सर्जरी का कार्य करते है। परिवादिनी के बॉये वक्ष में गिल्टी थी जिसके लिए आयुष नर्सिगं होम में विपक्षी संख्या.05 की सलाह ली। विपक्षी संख्या.05 ने परिवादिनी को एफ0एन0ए0सी0 परीक्षण की सलाह दी। उनकी सलाह पर परिवादिनी ने विपक्षी संख्या.03 (चारू डाइग्नोस्टिक सेन्टर) के यहॉ दिनॉक.28.9.2007 को एफ0एन0ए0सी0 परीक्षण कराया। परीक्षण में टयूमर होने की बात कही गयी। विपक्षी संख्या.03 की रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी संख्या.05 ने परिवादिनी को दिनॉक.15.11.2007 को विपक्षी संख्या.04 (आयुष नर्सिगं होम) के यहॉ भर्ती कराया जहॉ उसका आपरेशन विपक्षी संख्या.05 ने किया और दिनॉक.19.11.2007 को उसे आयुष नर्सिगं होम से मुक्त कर दिया। आपरेशन के बाद विपक्षी संख्या.05 द्वारा निकली हुयी गिल्टी को पुनः परीक्षण हेतु विपक्षी संख्या.03 के यहॉ भेजा। विपक्षी संख्या.03 ने दिनॉक.20.11.2007 को अपनी परीक्षण रिपोर्ट दी जिसे दिनॉक.6.12.2007 को विपक्षी संख्या.05 को विपक्षी संख्या.03 की जॉच रिपोर्ट दिखायी। विपक्षी संख्या.03 द्वारा दी गयी रिपोर्ट देख कर विपक्षी संख्या.05 ने मेडीकल कालेज में परीक्षण व इलाज हेतु परिवादिनी को जाने की सलाह दी। परिवादिनी सारे कागजात ले कर विपक्षी संख्या.02 (किगं जार्ज मेडिकल कालेज) गयी। जहॉ पर उसने पंजीयन कराया जिसका पंजीयन नम्बर.26216/07 था। पंजीकरण के बाद परिवादिनी को विपक्षी संख्या.01 (डॉ0 सीमा गुप्ता) के पास इलाज हेतु भेजा गया। विपक्षी

Joohi Quddusi 4/8/2023 4.8.23 4/8/2023

शेष———2–पर

Scanned with ACE Scanner

संख्या.01 ने विपक्षी संख्या.03 की जॉच रिपोर्ट देखने के बाद तथा अपने द्वारा कराये गये परीक्षणो को देखने के बाद किमोथेरपी की सलाह दी. तथा इस हेतुं परिवादिनी को दिनॉक.01.1.2008 को विपक्षी संख्या.02 के यहॉ भर्ती करा दिया। भर्ती करने के उपरांत विपक्षी संख्या.01 ने दिनॉक.01.2.2008 ,02.01.2008 व दिनॉक. 03.01.2008 को परिवादिनी का इलाज कीमोथैरेपी के द्वारा किया और दवाइयॉ दी और पुनः दिनॉक.01.02. 2008 को बुलाया गया। परिवादिनी ने डाक्टरों की सलाह पर अपने को प्रिंस एलाई खान अस्पताल,माजे गॉव,मुम्बई में डाक्टर एस0ए0प्रधान से सलाह ली और उन्होंने विपक्षी संख्या.03 द्वारा दी गयी जॉच तथा स्लाइड व ब्लाक देखा जो गिल्टी से सम्बन्धित थे। विपक्षी संख्या.03 द्वारा दी गयी जॉच, स्लाइड व ब्लाक को देखने के बाद डॉ0एस0ए0प्रधान ने उक्त स्लाइड व ब्लाक का पुनः परीक्षण डॉ0 मीना एस0देशाई द्वारा कराया। डॉ0 मीना एस0देशाई द्वारा किये गये परीक्षण में यह राय व्यक्त की गयी कि परिवादिनी को कोई कैंसर नहीं है और विपक्षी संख्या.01 ने बिना जॉच किये गलत इलाज किया। डॉ0 एस0ए0प्रधान ने यह भी बताया कि अब परिवादिनी को किसी इलाज की जरूरत नहीं है,क्योकि उसका इलाज हो चुका है। परिवादिनी जब पुनः विपक्षी संख्यां..01 व 03 से सम्पर्क किया तो उन लोगों ने कुछ भी सुनने व बताने से इंकार कर दिया । विपक्षी संख्या.01 द्वारा विपक्षी संख्या.03 की रिपोर्ट का सही अर्थ नहीं लगाया गया और संदेह की स्थिति के बावजूद बिना उचित परीक्षण कराये व संतुष्ट हुये लापरवाही से कैंसर का इलाज शुरू कर दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप परिवादिनी के सारे बाल झड गये, नेत्र ज्योति कम हो गयी,शरीर की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो गयी तथा कीमोथेरीपी के तमाम अन्य दुष्परिणाम परिवादिनी को भुगतने पड़े। कैंसर जैसी बीमारी का इलाज करने के पूर्व विपक्षी संख्य.01 ने जो लापरवाही बरती है वह कोई सामान्य चिकित्सक कभी नहीं बरतता। इस कारण विपक्षी संख्या01 लापरवाही बरतने का दोषी है। कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित होने की मानसिकता के कारण परिवादिनी तथा उसके परिवार ने काफी मानसिक वेदना सही है जिसके मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता। परिवादिनी ने विपक्षीगण को दिनॉक.12.3.2008 को पंजीकृत डाक से ज्ञापन भेजा जिसको प्राप्त होने के बाद भी विपक्षीगण द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। चूँकि विपक्षी संख्या.04 व 05 द्वारा विपक्षी संख्या.01 व 02 के यहॉ भेजा गया था तथा विपक्षी संख्या.04 व 05 ने भी परिवादिनी का इलाज किया है इस कारण वे भी जिम्मेदार है तथा उन्हें भी पक्षकार बनाया जा रहा है । अतः निवेदन है कि विपक्षीगण से संयुक्त रूप से या जिसे फोरम उत्तरदायी समझे उससे क्षतिपूर्ति के रूप में मु04,50,000/– की धनराशि परिवादिनी को दिलायी जाये तथा रू0.4,50,000/– पर दिनॉक.12.3.2008 से 18–प्रतिशत की दर से ब्याज व खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाये।

3–. विपक्षी संख्या.01 डॉ0 सीमा गुप्ता द्वारा लिखित आपत्ति कागज संख्या.08 प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है कि वह बतौर असिस्टेन्ट प्रोफेसर के0जी0एम0यू0,लखनऊ के रेडियोथैरेपी विभाग में कार्यरत है। परिवादिनी अपने परिवाद में उनके पास इलाज हेतु दिनॉक.29.12.2007 को आना कहा है जबकि परिवादिनी इसके पूर्व दिनॉक.20.12.2007 को भी अपने द्वारा पूर्व में करायी गयी जॉच लेकर आयी थी जिसका ओ0पी0डी0 स्लिप नं0.6116,दिनॉकित.20.12.2007 है। परिवादिनी ने अपने द्वारा पूर्व में करायी गयी जो जाचॅ दिखाया था उसमें बायी तरफ ब्रेस्ट का कैंसर दर्शित किया गया था। विपक्षी संख्या.01 द्वारा परिवादिनी की ली गयी Past History से भी कैंसर परिलक्षित हो रहा था जिसके सम्बन्ध में विपक्षी संख्या. 01 द्वारा परिवादिनी को कुछ और जॉच लिखी गयी जिसे परिवादिनी द्वारा पूर्व में नहीं करायी गयी थी। मेरे

Joshi Chuddhar 4/8/2023 4.8.23 4/8/2023

शेष———3–पर

Scanned with ACE Scanner

द्वारा लिखी गयी जॉच परिवादिनी की बीमारी के Extent of Disease को समझने के लिए कराया गया था। जॉच रिपोर्ट के साथ परिवादिनी को दिनॉक.29.12.2007 को ओ0पी0डी0 के दिन आने को कहा गया। दिनॉक.29.12.2007 को जब परिवादिनी ओ0पी0डी0 के दिन विपक्षी संख्या.01 के पाय आयी तो सारी रिपोर्ट देखने के पश्चात यह पाया गया, कि परिवादिनी के सीने के एक्सरे में दोनो तरफ फेफड़ो के मध्य तथा निचले भाग में कैंसर फैला हुआ है। सभी जॉच रिपोर्ट देखने के पश्चात परिवादिनी को उसकी बीमारी व उपचार के मामले में जानकारी दी गयी और परिवादिनी को बताया गया कि कैंसर केवल ब्रेस्ट तक सीमित नहीं है बल्कि दोनों तरफ फेफड़े में भी फैल गया है जिसके लिए कीमोथैरेपी तथा रेडियोथैरेपी करने की आवश्यकता है। परिवादिनी की सहमति से उसका उपचार शुरू किया गया। परिवादिनी के बाये ब्रेस्ट में सन–2004 में भी गाठ थी जिसका परिवादिनी ने आपरेशन कराया था। बाये ब्रेस्ट में तीन साल बाद फिर गाठ हुयी जिसका परिवादिनी ने विपक्षी संख्या.05 से आपरेशन कराया और गाठ को हिस्टोपैथोलोजिकल जॉच के लिए चारू डाग्योनिस्टक सेन्टर,लखनऊ भेजा गया जिसमें स्पष्ट रूप से कैंसर होना बताया गया था।

4– विपक्षी संख्या.03 की तरफ से लिखित आपत्ति कागज संख्या.16 प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है कि परिवादिनी दिनॉक.28.9.2007 को FNAC जॉच हेतु विपक्षी के पास आयी थी जिसकी रिपोर्ट परिवादिनी को जॉच के उपरांत दे दी गयी थी । उसके पश्चात दिनॉक.20.11.2007 को परिवादिनी के बाये ब्रेस्ट की जॉच करके परिवादिनी के परिजनों को जॉच रिपोर्ट दे दी गयी थी। इसके पश्चात माह जनवरी,2008 में परिवादिनी के परिजन जॉच सम्बन्धी स्लाइड व ब्लाक लेने के लिए आये थे जिसे विपक्षी संख्या.03 द्वारा परिवादिनी के परिजनों को दे दिया गया। इसके बाद परिवादिनी व उसके परिजन विपक्षी संख्या.03 के पास कभी नहीं आये। विपक्षी संख्या.03 के द्वारा अपनी सेवा में कोई कमी नहीं की गयी है। दिनॉक.20.11.2007 को जॉच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया था कि परिवादिनी के की जॉच में BORDER LINE MALIGNANT PHYLLODES TUMOR पाया गया जिसका तात्पर्य यह होता है कि यह पाजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इस जॉच रिपोर्ट में अग्रिम चिकित्सा के लिए चिकित्सा करने वाले डाक्टर को निर्णय लेना होता है। परिवादिनी द्वारा जब दूसरे पैथोलॉजी से जॉच कराने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की गयी तो तत्काल विपक्षी संख्या.03 ने स्लाइड व ब्लाक बिना किसी एतराज के परिवादिनी के परिजनों को दे दिया था। विपक्षी संख्या.03 द्वारा अपनी सेवाओं में कोई कमी नहीं की गयी है । फिर भी अनुचित लाभ लेने के लिए विपक्षी के विरूद्व यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी संख्या.03 डॉ0 चारू डाइग्नोस्टिक सेन्टर,गोमती नगर,लखनऊ में स्थित है और परिवादिनी लखीमपुर–खीरी की रहने वाली है। परिवादिनी की ओर से जो परिवाद लखीमपुर–खीरी में दायर किया गया है उसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार लखीमपुर–खीरी को नहीं है। उक्त तथ्यों के प्रकाश में विपक्षी संख्या.03 के विरूद्व दायर परिवाद निरस्त किया जाये।

5– विपक्षी संख्या.02 किंज जार्ज यूनिवर्सिटी,लखनऊ जरिये उपकुलपति औपचारिक पक्षकार है उनके द्वारा कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या.04, आयुष नर्सिगं होम,गॉधी विद्यालय,लखीमपुर–खीरी वह अस्पताल है जहॉ विपक्षी संख्या.05 डाक्टर आनन्द मिश्रा द्वारा परिवादिनी के ब्रेस्ट में हुयी गिल्टी का दिनॉक.15.11.2007 को आपेशन किया गया।

Joohi Quddusi
4/8/2023

4.8.23

4/8/2023

शेष————4–पर

विपक्षी संख्या.04,05 द्वारा भी कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। फलस्वरूप विपक्षी संख्या.02,04 व 05 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी है।

6— परिवादिनी द्वारा अपने समर्थन में Prince Aly Khan Hospital,Mumbai का ओ0पी0डी0 रजिस्ट्रेशन, Prince Aly Khan Hospital,Mumbai की रसीद संख्या.781863, Prince Aly Khan Hospital,Mumbai का हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, आयुष नर्सिगं होम,गॉधी विद्यालय ,लखीमपुर–खीरी की डिस्चार्ज स्लीप,डाक्टर आनन्द मिश्रा द्वारा इलाज संबंधी कागजात ,किंग जार्ज यूनिवर्सिटी,लखनऊ का वाहय रोगी टिकट व चिकित्सा संबंधी प्रपत्र, किंग जार्ज यूनिवर्सिटी,लखनऊ में परिवादिनी द्वारा अदा किये गये पैसों की रसीद, किंग जार्ज यूनिवर्सिटी,लखनऊ की अल्ट्रासाउण्ट रिपोर्ट, किंग जार्ज यूनिवर्सिटी,लखनऊ में परिवादिनी को भर्ती कराने संबंधी प्रपत्र, डॉ0 चारू डाइग्नोस्टिक सेन्टर,गोमती नगर,लखनऊ की जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत किया है।

7— विपक्षी संख्या.01 की तरफ से अपनी लिखित आपत्ति कागज संख्या.08 के सलग्नक के रूप में ओ0पी0डी0स्लिप नं.6116,दिनॉक.20.12.2007 की छायाप्रति,चेस्ट एक्सरे पी./ए. रिपोर्ट नं0.11350,दिनॉक.22.12.2007 की छायाप्रति,सहमतिनामा की छायाप्रति,दिनॉक.23.5.2004 की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट जो कि आपरेशन के बाद जॉच के लिए पैथोलॉजी भेजी गयी थी की छायाप्रति,दिनॉक.06.12.2007 का डॉ0 आनन्द मिश्रा के रेफरल स्लिप की छायाप्रति,दिनॉक.20.11.2007 को डॉ0 चारू डाइग्नोस्टिक सेन्टर,गोमती नगर,लखनऊ से करायी गई हिस्टोपैथालोजी रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

8— परिवादिनी की ओर से लिखित बहस कागज संख्या.20 , विपक्षी संख्या.03 की ओर से लिखित बहस कागज संख्या.21,विपक्षी व विपक्षी संख्या.01 द्वारा लिखित बहस कागज संख्या.24 प्रस्तुत किया गया हैं।

9— बहस के लिए नियत दिनॉक पर परिवादिनी व विपक्षी संख्या.03 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। विपक्षी संख्या.01 व अन्य विपक्षीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

10— जिला उपभोक्ता आयोग,लखीमपुर–खीरी के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट कागज संख्या.44 भी पत्रावली पर संलग्न'है।

11— सुना गया पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

12—परिवादिनी जनपद लखीमपुर–खीरी की रहने वाली है। विपक्षी संख्या.01, के0जी0एम0यू0,लखनऊ में रेडीयोथिरेपी विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत है। के0जी0एम0यू0,लखनऊ जरिये उपकुलपति को बतौर विपक्षी संख्या.02 पक्षकार बनाया गया है,विपक्षी संख्या.03 चारू डाइग्नोस्टिक सेन्टर,गोमती नगर,लखनऊ में स्थित है तथा विपक्षी संख्या.04 आयुष नर्सिगं होम,लखीमपुर–खीरी में स्थित है । विपक्षी संख्या.05 डॉ0 आनन्द मिश्रा लखनऊ के निवासी है । उनके द्वारा विपक्षी संख्या.04 के नर्सिगं होम जो कि लखीमपुर–खीरी में स्थित है में परिवादिनी के बाये वक्ष का आपरेशन किया गया है। विपक्षी संख्या.02 व 04 व 05 की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। विपक्षी संख्या.01 द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष क्षेत्राधिकार पर कोई आपत्ति नहीं की गयी हैं । विपक्षी संख्या.03 द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति करते हुये कहा गया है कि चूँकि विपक्षी संख्या.03

Joshi Quddus 4/8/2023. 4.8.23 4/8/2023

शेष————5–पर

Scanned with ACE Scanner

का लखनऊ में मेडिकल के क्षेत्र का व्यवसाय है और लखीमपुर–खीरी मे उसकी कोई शाखा भी नही है। इसलिए जिला उपभोक्ता आयोग,लखीमपुर–खीरी को विपक्षी संख्या.03 के विरूद्व सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है।

13– उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–2019 की धारा–34 में जिला उपभोक्ता आयोग के क्षेत्राधिकार को वर्णित किया गया है जिसमें अन्य प्रावधान के अतिरिक्त यह भी प्रावधान किया गया है कि परिवाद उस जिला आयोग में प्रस्तुत किया जायेगा जहाँ परिवादी निवास करता है या अपने लाभ के लिए कार्य करता है। चूँकि परिवादिनी लखीमपुर–खीरी की निवासी है इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–2019 की धारा–34 के प्रावधान के प्रकाश में जिला उपभोक्ता आयोग ,लखीमपुर–खीरी को परिवाद की सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। यह भी कि परिवाद प्रस्तुत होने के पश्चात अंगीकरण की सुनवाई के समय दिनॉक.16.10.2008 को जिला आयोग,लखीमपुर–खीरी द्वारा इस परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होने के सम्बन्ध में विनिश्चय दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या.03 का क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रस्तुत तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

14– परिवादिनी के कथनानुसार उसके बाये वक्ष में तकलीफ थी जिसके लिए उसने विपक्षी संख्या. 05 डॉ0 आनन्द मिश्रा से सलाह ली। विपक्षी संख्या.05 की सलाह पर विपक्षी संख्या.03 के यहॉ दिनॉक.28.9. 2007 को एफ.एन.ए.सी. परीक्षण कराया गया। विपक्षी संख्या.03 द्वारा किये गये एफ.एन.ए.सी. परीक्षण रिपोर्ट में टयूमर होने की बात कही गयी। एफ.एन.ए.सी रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी संख्या.04 आयुष नर्सिगं होम में विपक्षी संख्या.05 द्वारा दिनॉक.15.11.2007 को परिवादिनी के बाये वक्ष का आपरेशन किया गया और वक्ष से निकली गिल्टी परीक्षण हेतु विपक्षी संख्या.03 के यहॉ भेजा गया। विपक्षी संख्या.03 की परीक्षण रिपोर्ट दिनॉकित.20.11.2007 को ले जा कर विपक्षी संख्या.05 डाॅ आनन्द मिश्रा को दिखाया गया तो उन्होंने के0जी0एम0यू0,लखनऊ में परीक्षण व इलाज हेतु जाने की परिवादिनी को सलाह दी। परिवादिनी द्वारा विपक्षी संख्या.05 की सलाह से विपक्षी संख्या.01 के पास दिनॉक.29.12.2007 को इलाज हेतु गयी और विपक्षी संख्या.01 द्वारा कुछ जॉच व परीक्षण कराया गया जिसके बाद परिवादिनी को दिनॉक.01.01.2008,02. 1.2008 व 03.1.2008 को कीमोथैरोपी दी गयी। परिवादिनी अन्य डाक्टरों की सलाह पर समस्त जॉच रिपोर्ट लेकर Prince Aly Khan Hospital,Mumbai डाॅ एस.ए.प्रधान के पास गयी व विपक्षी संख्या.03 द्वारा दी गयी जॉच तथा स्लाइड व ब्लाक दिखाया तो उन्होनें डॉ0 मीना एस0देशाई के द्वारा पुनः हिस्टोपैथोलाजिकल परीक्षण कराया । परीक्षण के पश्चात बताया कि परिवादिनी को कैंसर की बीमारी नहीं थी। उसका विपक्षी संख्या.01 द्वारा गलत इलाज किया गया है।

15– इस तथ्य के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है कि परिवादिनी के बाये वक्ष में गिल्टी का आपरेशन व इलाज विपक्षी संख्या.05 डॉ0 आनन्द मिश्रा द्वारा किया गया था। परिवादिनी का कथन है कि जब विपक्षी संख्या.05 द्वारा उसकें बाये वक्ष का आपरेशन आयुष नर्सिगं होम,लखीमपुर–खीरी में दिनॉक.15. 11.2007 को किया गया तो आपरेशन के बाद निकली हुयी गिल्टी को पुनः परीक्षण हेतु विपक्षी संख्या.03 के पास भेजा। विपक्षी संख्या.03 ने HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATION रिपोर्ट दिनॉकित.20.11.2007 परिवादिनी को दी जिसमें Findings are suggestive of BORDERLINE MALIGNANT PHYLLODES TUMOR दर्शाया गयां । परिवादिनी इस रिपोर्ट को लेकर पुनः विपक्षी संख्या.05 के पास गयी तो विपक्षी संख्या.05 ने के0जी0एम0यू0,लखनऊ में परीक्षण एवं इलाज हेतु जाने की सलाह दी। परिवादिनी अपने

Jothi Anddun 4/8/2023 4.8.23 4/8/2023

शेष———6–पर

इलाज संबंधी समस्त कागजात व जाचें रिपोर्ट लेकर दिनॉक.29.12.2007 को विपक्षी संख्या.01 के पास गयी और अपना पंजीकरण कराया जिसका पंजीकरण नं0.26216/2007 है। विपक्षी संख्या.01 ने विपक्षी संख्या.03 की HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATION रिपोर्ट देख कर व अपने द्वारा करायी गयी जॉच रिपोर्ट को देखने के बाद दिनॉक.01.01.2008,02.01.2008 व दिनॉक.03.01.2008 को परिवादिनी का कीमोथैरपी किया गया और पुनः दिनॉक.01.02.2008 को बुलाया गया। विपक्षी संख्या.01 द्वारा अपनी लिखित आपत्ति व लिखित बहस क्रमशः कागज संख्या.08 व 24 में कहा गया है कि परिवादिनी प्रथम बार दिनॉक. 29.12.2007 को उनके पास नहीं आयी थी बल्कि उसके पूर्व दिनॉक.20.12.2007 को उनके पास आ कर अपने इलाज संबंधी कागजात व जॉच रिपोर्ट जो उसके पास पहले से थी,दिखाया था। विपक्षी संख्या.01 ने अपने इस कथन के समर्थन में ओ0पी0डी0 स्लिप नं0 6116,दिनॉक.20.12.2007 प्रस्तुत किया है। यद्यपि परिवादिनी ने दिनॉक.29.12.2007 को इलाज हेतु विपक्षी संख्या.01 के पास जाने की बात कही है परन्तु विपक्षी संख्या.01 द्वारा लिखित आपत्ति के साथ प्रस्तुत ओ0पी0डी0 स्लिप नं0.6116,दिनॉक.20.12.2007 के आधार पर यह माना जा सकता है कि परिवादिनी दिनॉक.20.12.2007 को भी इलाज हेतु विपक्षी संख्या.01 के पास गयी थी। ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि परिवादिनी दिनॉक.29.12.2007 के पूर्व दिनॉक. 20.12.2007 को भी इलाज हेतु विपक्षी संख्या.01 के पास गयी थी ।

16— विपक्षी संख्या.01 ने अपनी अपनी लिखित आपत्ति व लिखित बहस क्रमशः कागज संख्या.08 व 24 के प्रथम प्रस्तर में कहा है कि दिनॉक.20.12.2007 को जब परिवादिनी आयी थी तो उसके पास पूर्व सें उपलब्ध जॉच में वॉयी तरफ ब्रेस्ट का कैंसर दिखाया गया था और मेरे द्वारा ली गयी Past History से भी कैंसर परिलक्षित हो रहा था जिसके क्रम में मैने परिवादिनी को कुछ वह जॉच लिखी जो परिवादिनी द्वारा पूर्व में नहीं कराया गया था । मेरे द्वारा जो जॉच करायी गयी वह Extent of Disease को समझने के लिए करायी गयी थी। उसके बाद परिवादिनी को ओ0पी0डी0 के दिन दिनॉक.29.12.2007 को जॉच रिपोर्ट ले कर आने को कहा था। दिनॉक.29.12.2007 को जब परिवादिनी सभी जॉच रिपोर्ट ले कर ओ0पी0डी0 के दिन मेरे पास आयी तो मैने देखा की मरीज के सीने के एक्सरे में दोनो तरफ फेफड़ो के मध्य तथा निचले भाग में कैंसर फेला हुआ था। सभी जॉच रिपोर्ट देखने के पश्चात उसके द्वारा परिवादिनी की कीमोथैरपी व रेडियोथैरपी करने की बात कही गयी और परिवादिनी से सहमति लेकर उसका उपचार शुरू किया गया। इस प्रकार विपक्षी संख्या.01 द्वारा कहा गया है कि दिनॉक.20.12.2007 को जब परिवादिनी इलाज हेतु उनके पास आयी तो जो जॉच रिपोर्ट आदि पहले से ही परिवादिनीके पास थी के अलावा कुछ और जॉच कराने को कहा गया। उसके बाद परिवादिनी उनके द्वारा लिखी गयी जॉच करा कर ओ0पी0डी0 के दिन दिनॉक. 29.12.2007 को आयी। विपक्षी संख्या.01 द्वारा अपनी लिखित आपत्ति में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा दिनॉक.20.12.2007 को परिवादिनी को कौन–कौन सी जॉच कराने को कहा गया था,परन्तु विपक्षी संख्या.01 द्वारा लिखित आपत्ति के साथ प्रस्तुत ओ0पी0डी0 स्लिप नं06116,दिनॉकित.20.12.2007 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विपक्षी संख्या.01 द्वारा परिवादिनी को ब्लड टेस्ट,अल्ट्रासाउण्ड, व चेस्ट एक्सरे कराने को कहा गया थां। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड/विशेषज्ञ की रिपोर्ट कागज संख्या.44/01 के क्रम संख्या.3 पर अंकित है कि डाॅ0 सीमा गुप्ता द्वारा ब्लड टेस्ट,अल्ट्रासाउण्ड, व चेस्ट एक्स–रे के अलावा अन्य कोई जॉच नहीं करायी गयी थी। तात्पर्य यह कि दिनॉक.20.12.2007 को जब परिवादिनी पहली बार विपक्षी संख्या.01 के पास गयी तो ब्लड टेस्ट,

Joshi Anddue
4/8/2023.

4.8.23

शेष———7–पर 4/8/2023

अल्ट्रासाउण्ड व चेस्ट एक्स–रे कराने के लिये परिवादिनी से कहा गया फिर परिवादिनी इस ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट व चेस्ट एक्स–रे रिपोर्ट तथा पूर्व में करायी गयी जॉच रिपोर्ट लेकर विपक्षी संख्या.01 के पास दिनॉक.29.12.2007 को गयी। जिसके आधार पर विपक्षी संख्या.01 द्वारा वक्ष में कैन्सर पाते हुए कीमोथैरेपी व रेडियोथैरेपी की बात परिवादिनी से कही गयी।

17– विपक्षी संख्या.01 ने अपनी लिखित आपत्ति के साथ संजय पैथोलॉजी सेंन्टर,लखीमपुर–खीरी की हिस्टोपैथोलॉजिकल जॉच रिपोर्ट दिनॉकित.23मई ,2004 ,डाक्टर आनन्द मिश्रा की रेफरल स्लिप दिनॉकित.06.12.2007 व चारू डाग्योनिस्टक सेन्टर,लखनऊ,विपक्षी संख्या.03 की हिस्टोपैथोलॉजिकल जॉच रिपोर्ट दिनॉकित.20.11.2007 प्रस्तुत किया है। यह जॉच परिवादिनी द्वारा विपक्षी संख्या.03 के पास इलाज हेतु जाने से पूर्व करायी गयी थी। संजय पैथोलॉजी सेन्टर,लखीमपुर–खीरी की हिस्टोपैथोलॉजिकल जॉच रिपोर्ट दिनॉकित.23.5.2004 में परिवादिनी के वक्ष में PHYLLODES TUMOR पाया गया है और NO EVIDENCE OF MALIGNANCY IS SEEN अंकित है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या.03चारू डायग्नोस्टिक सेन्टर,लखनऊ की हिस्टोपैथोलॉजिकल जॉच रिपोर्ट दिनॉकित.20.11.2007 में Findings are suggestive of BORDERLINE MALIGNANT PHYLLODES TUMOR अंकित है। इस प्रकार संजय पैथोलॉजी सेन्टर,लखीमपुर–खीरी की जॉच रिपोर्ट में कोई MALIGNANCY नहीं पायी गयी तथा विपक्षी संख्या.03 की जॉच रिपोर्ट में BORDERLINE MALIGNANT PHYLLODES TUMOR को सांकेतिक दर्शाया गया है। विपक्षी संख्या.03 ने अपनी लिखित आपत्ति कागज संख्या.16 के पैरा–11 में कहा भी गया है कि BORDERLINE MALIGNANT PHYLLODES TUMOR का मतलब यह होता है कि MALIGNANCY हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और इसके आधार पर चिकित्सा करने वाले डाक्टर को निर्णय लेना होता है। इस प्रकार संजय पैथोलॉजी सेन्टर,लखीमपुर–खीरी की जॉच रिपोर्ट व विपक्षी संख्या.03 चारू डायग्नोस्टिक सेन्टर,लखनऊ की जॉच रिपोर्ट में परिवादिनी के वक्ष में MALIGNANCY होना नहीं बताया गया था, परन्तु विपक्षी संख्या.01 द्वारा अपनी लिखित आपत्ति में विपक्षी संख्या.03 की उक्त हिस्टोपैथोलॉजिकल जॉच रिपोर्ट के बारे में गलत रूप से कहा गया कि विपक्षी संख्या.03, चारू डायग्नोस्टिक सेन्टर,लखनऊ की हिस्टोपैथोलॉजिकल जॉच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कैंसर का होना बताया गया है। विपक्षी संख्या.01 द्वारा परिवादिनी की पूर्व में करायी गयी संजय पैथोलॉजी सेन्टर,लखीमपुर–खीरी की जॉच रिपोर्ट ,विपक्षी संख्या.03 चारू डायग्नोस्टिक सेन्टर,लखनऊ की जॉच रिपोर्ट व अपने द्वारा करायी गयी ब्लड टेस्ट,अल्ट्रासाउण्ड व चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर परिवादिनी के ब्रेस्ट में कैंसर पाते हुए कीमोथैरेपी किया गया जबकि किसी भी जॉच रिपोर्ट में कैंसर के लक्षण नहीं पाये गये थे।

18– जब विपक्षी संख्या.01 द्वारा परिवादिनी की दिनॉक.01.01.2008,02.01.2008 व दिनॉक.03.01. 2008 को किंज जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी,लखनऊ में कीमोथैरेपी किया गया तो परिवादिनी ने अन्य चिकित्सक की सलाह पर विपक्षी संख्या.03 की जॉच रिपोर्ट व विपक्षी संख्या.03 से ली गयी स्लाइड व ब्लाक को लेकर अग्रिम जॉच व इलाज हेतु Prince Aly Khan Hospital,Mumbai गयी जहॉ परिवादिनी ने डाक्टर एस0ए0प्रधान से सलाह लिया और विपक्षी संख्या.03 से प्राप्त स्लाइड व ब्लाक का पुनः परीक्षण डॉ0 मीना एस0देशाई द्वारा किया गया,तो यह पाया गया कि परिवादिनी को कैंसर की बीमारी नहीं है।

Jyoti Quddus 4/8/2023 4.8.23

शेष————8–पर 4/8/2023

Scanned with ACE Scanner

परिवादिनी ने अपने परिवाद पत्र के साथ Prince Aly Khan Hospital,Mumbai की हिस्टोपैथोलॉजिकल जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है जिसमें NO evidence of malignancy in the material submitted अंकित है।

19– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त जॉच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा विशेषज्ञ की सलाह लेने का निर्णय लिया गया और इस संबंध में किंज जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी,लखनऊ को पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया, गया कि वह प्रकरण के सम्बन्ध में कैंसर रोग विशेषज्ञों का एक मेडिकल बोर्ड गठित कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, किंज जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी,लखनऊ को परिवादिनी द्वारा पूर्व में करायी गयी समस्त जॉच रिपोर्ट व विपक्षी संख्या.01 द्वारा करायी गयी जॉच व इलाज से सम्बन्धित कागजात भी प्रेषित किया गया। साथ ही पत्र कागज संख्या.40 दिनॉकित.03.4.2023 प्रेषित कर निम्न बिन्दुओं पर मेडिकल बोर्ड की राय प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया——

1.In the report of Charu Diagnostic Center dated 20-11-2007 it is stated that findings are suggestive of Border line malignant phylliodes Tumor are suggestive of cancer and if there is any terminology in Medical glossary as border line cancer?

2-What further medical examination are to be done by an Oncologist to ensure if it is malignancy?

3-What medical examination was done by the doctor/Dr.Seema Gupta (oncologist) to ensure malignancy in this patient other than Blood test,Chest X-ray, Ultrasound.

4-What is the criterion for prescribing the dose of Chemotherapy?

20– जिला उपभोक्ता आयोग के अनुरोध पर के0जी0एम0यू0,लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया जिसमें मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,गॉधी स्मारक एवं सम्बद्व चिकित्सालय लखनऊ,अध्यक्ष,विभागाध्यक्ष,रेडियोथेरपी विभाग,के0जी0एम0यू0 लखनऊ/नामित सदस्य, विभागाध्यक्ष,सर्जिकल आंकोलॉजी विभाग,के0जी0एम0यू0 लखनऊ/नामित सदस्य,विभागाध्यक्ष,इण्डोक्राइन सर्जरी विभाग, के0जी0एम0यू0 लखनऊ/नामित सदस्य थे।

21– उक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनॉकित.11.4.2023 कागज संख्या.44 प्रस्तुत की गयी जिसमें निम्न राय व्यक्त की गयी है ——

1-There is no standard terminology as borderline cancer,but borderline tumor is standard terminology in some tumors like ovarian ,epithelial tumors or phylloides tumor breast. Borderline tumors behave more aggressively than benign tumors.

According to WHO classification of breast tumors 2019,phyllodes tumour is classified as_

Benign phyllodes

Borderline phyllodes

Malignant phyllodes

Joohi Qudduss 4/8/2023 4/8/2023

शेष————9—पर

Scanned with ACE Scanner

2- To ensure if it is cancer the best method is to get the slides and blocks reviewed by an expert pathologist. In addition investigation can be done like Chest X Ray, Ultrasound of abdomen or CT Scan to find out about spread of cancer .However all these investiogations may or may not be confirmatory for spread of cancer.

3-Except for blood test,ultrasound and chest x-ray no other investiogations done by Dr.Seema Gupta.

4-Criteria for dose of chemotherapy is based on body surface area of the patient.

22– मेडिकल बोर्ड की उक्त रिपोर्ट के पैरा–02 में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मरीज को कैंसर है सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि स्लाइड व ब्लाक को किसी विशेषज्ञ पैथोलॉजिस्ट से रिव्यू कराया जाए और कैंसर के फैलाव को सुनिश्चित करने के लिए चेस्ट एक्स–रे,पेट का अल्ट्रासाउण्ड या सी.टी.स्कैन कराया जा सकता है। पैरा–03 में मेडिकल बोर्ड द्वारा यह भी कहा गया है कि बल्ड टेस्ट, अल्ट्रासाउण्ड व चेस्ट एक्स–रे के अलावा कोई अन्य जॉच डॉ0सीमा गुप्ता (विपक्षी संख्या.01) द्वारा नहीं कराया गया। मेडिकल बोर्ड की उक्त राय से स्पष्ट होता है कि कैंसर की बीमारी को सुनिश्चित करने के लिए मरीज के स्लाइड व ब्लाक का किसी विशेषज्ञ पैथोलाजी से Review होना आवश्यक है परन्तु विपक्षी संख्या.01,डॉ0 सीमा गुप्ता द्वारा परिवादिनी के स्लाइड व ब्लाक को किसी विशेषज्ञ पैथोलॉजिस्ट से Review कराये बगैर परिवादिनी के ब्रेस्ट में कैंसर मानते हुए उसकी कीमोथैरेपी की गयी। विपक्षी संख्या.03, चारू डायग्नोस्टिक सेन्टर,लखनऊ से स्लाइड व ब्लाक लेकर परिवादिनी Prince Aly Khan Hospital,Mumbai गयी जहॉ स्लाइड व ब्लाक का Review हुआ तो परिवादिनी के वक्ष में कैंसर नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या.01 द्वारा बिना कैंसर की बीमारी सुनिश्चित किये परिवादिनी के वक्ष में कैंसर के फैलाव संबंधी जॉच यथा अल्ट्रासाउण्ड,ब्लड टेस्ट व चेस्ट एक्स–रे कराया गया और कीमोथैरेपी की गयी जो निश्चित रूप से यह प्रकट करता है कि विपक्षी संख्या.01 द्वारा बगैर सम्यक जॉच किये कैंसर मानते हुए लापरवाही पूर्ण ढंग से परिवादिनी का दिनॉक.01.01.2008,02.01.2008 व दिनॉक.03.01.2008 को कीमोथैरेपी व उपचार किया गया।

23– के0जी0एम0यू0,लखनऊ में परिवादिनी द्वारा जो समय–समय पर इलाज हेतु पैसो का भुगतान किया गया है उसकी रसीद परिवादपत्र के साथ प्रस्तुत किया है जो कागज संख्या.6/12,6/13 व 6/14 है। समस्त रसीदों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी ने दिनॉक.20.12.2007 को बुक संख्या. 962 से रू0.41/–,बुक संख्या.964 से रू0.201/–,बुक संख्या.979 से रू0.26/–,बुक संख्या.740 से रू0. 140/– अदा किया है तथा रसीद संख्या.97 से रू0.134/– और रसीद संख्या.77 से रू0.100/– अदा किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि परिवादिनी द्वारा अपने इलाज हेतु के0जी0एम0यू0,लखनऊ में समय–समय पर पैसो का भुगतान किया गया है। भले ही के0जी0एम0यू0,लखनऊ सरकारी अस्पताल है और निजी अस्पताल की अपेक्षा के0जी0एम0यू0,लखनऊ में कम पैसा परिवादिनी द्वारा खर्च किया गया है फिर भी परिवादिनी द्वारा जो उक्त भुगतान किया गया है उससे वह उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाती है और परिवादिनी व विपक्षी संख्या.01 के मध्य सेवा प्रदाता व उपभोक्ता का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इस

Jothi Quddus 4/8/2023 4/8/23 4/8/2023

शेष———10–पर

Scanned with ACE Scanner

सम्बन्ध में उपभोक्ता केस न0.44/2008 ,प्रिया नरहरि एवं अन्य बनाम चीफ आफ द आर्मी स्टाफ तथा रिवीजन पिटीशन नं0.4191/2008 , श्रीमती हिमांचल कुमारी व अन्य बनाम एन.सी.टी.दिल्ली सरकार के मामलें में माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था उल्लेखनीय है जिसमें माननीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा सरकारी अस्पताल में चिकित्क द्वारा इलाज में लापरवाही बरतने पर मरीज को उपभोक्ता मानते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

24– परिवादिनी का कथन है कि विपक्षी संख्या.01 द्वारा गलत ढंग से किये गये इलाज व कीमोथैरपी के कारण परिवादिनी के बाल झड गये,नेत्र की ज्योति कम हो गयी,शरीर की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो गयी,कीमोथैरपी के तमाम अन्य दुष्परिणाम परिवादिनी को झेलने पड़े । इस सम्बन्ध में परिवादिनी द्वारा विपक्षीगण से सयुक्त रूप से या जिसे जिला उपभोक्ता आयोग उत्तरदायी समझे उससे रू. 4,90,000/– (चार लाख नब्बे हजार रू0) पर दिनॉक.12.3.2008 से 18–प्रतिशत की दर से ब्याज दिलाये जाने का निवेदन किया गया है तथा इसके अतिरिक्त खर्चा मुकदमा भी दिलाये जाने का निवेदन किया गया है। परिवादिनी का इलाज विपक्षी संख्या.01 द्वारा दिनॉक.20.12.2007 से दिनॉक.03.01.2008 तक किया गया है। परिवादिनी मुम्बई भी इलाज हेतु गयी है परिवादिनी द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु यह परिवाद वर्ष–2008 में प्रस्तुत किया गया है। अर्थात परिवादिनी विगत 15–वर्षो से न्याय के लिये मुकदमा लड़ रही है। समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला उपभोक्ता आयोग इस मत का है कि क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादिनी को रू0.4,50,000/– (चार लाख पचास हजार रू0) व इस धनराशि पर परिवाद प्रस्तुत करने के दिनॉक.15.10.2008 से 7–प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज व परिवाद व्यय की मद में रू0.50,000/– (पचास हजार रू0) दिलाया जाना न्यायोचित होगा।

25– विपक्षी संख्या.01 प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान के0जी0एम0यू0लखनऊ में रेडियोथैरेपी विभाग की आचार्य है । कोई भी मरीज चिकित्सक के पास इस आस्था और विश्वास के साथ जाता है कि चिकित्सक द्वारा उसका समुचित चिकित्सा की जायेगी। जब चिकित्सक द्वारा किसी भी मरीज का समुचित इलाज नहीं किया जायेगा तो जहॉ एक ओर यह अत्यंत चिन्ताजनक है वही दूसरी ओर चिकित्सक व चिकित्सा संस्थान के प्रति आस्था में भी कमी आ जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि विपक्षी संख्या.01 द्वारा परिवादिनी के इलाज में अत्यंत लापरवाही व उपेक्षा की गयी है। सरकारी अस्पताल में नियुक्त रहते हुए विपक्षी संख्या.01 द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया है इसलिए परिवादिनी के इलाज के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या.01 व्यक्तिगत रूप से क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है।

26– पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक विश्लेषण व पक्षकारों का तर्क सुनने के पश्चात जिला उपभोक्ता आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विपक्षी संख्या.01 से परिवादिनी को क्षतिपूर्ति के रूप में रू0.4,50,000/– (चार लाख पचास हजार रू0) व इस धनराशि पर परिवाद प्रस्तुत करने के दिनॉक.15.10.2008 से 7–प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज व वाद व्यय की मद में रू0.50,000/– (पचास हजार रू0) दिलाया जाना न्यायोचित होगा।

Joohi Quddusi
4/8/2023

4/8/2023

शेष————11–पर

Scanned with ACE Scanner

(आदेश)

परिवादिनी का परिवाद स्वीकार किया जाता है । विपक्षी संख्या.01,डॉ0 सीमा गुप्ता,आचार्य रेडियोथैरपी विभाग, के0जी0एम0यू0,लखनऊ को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को क्षतिपूर्ति के रूप में रू0.4,50,000/– (चार लाख पचास हजार रू0) व इस धनराशि पर परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि15.10.2008 से अन्तिम भुगतान की तिथि तक 7–प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज तथा इसके अतिरिक्त परिवाद व्यय की मद में रू0.50,000/–,(पचास हजार रू0) की अदायगी एक माह के अन्दर करना सुनिश्चित करे।

Joohi Quddusi 4/8/2023	4.8.23	4/8/2023
(जूही कुददूसी)	(डॉ0आलोक कुमार शर्मा)	(शिव मणि शुक्ल)
सदस्या	सदस्य	अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता आयोग,	जिला उपभोक्ता आयोग,	जिला उपभोक्ता आयोग,
लखीमपुर–खीरी	लखीमपुर–खीरी	लखीमपुर–खीरी।

दिनॉक:–04.8.2023

निर्णय आज खुले आयोग में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

Joohi Quddusi 4/8/2023	4.8.23	4/8/2023
(जूही कुददूसी)	(डॉ0आलोक कुमार शर्मा)	(शिव मणि शुक्ल)
सदस्या	सदस्य	अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता आयोग,	जिला उपभोक्ता आयोग,	जिला उपभोक्ता आयोग,
लखीमपुर–खीरी	लखीमपुर–खीरी	लखीमपुर–खीरी।

दिनॉक:–04.8.2023

Scanned with ACE Scanner